रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1968/आषाढ़ 12, 1890

No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1968/ASADHA 12, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July 1968

S.O. 2433.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri Sridhar Chandra Ray, District and Session Judge, Jalpaiguri and Darjeeling, as Claims Commissioner to deal with, in addition to his own duties, all claims for compensation arising out of the accident on the 28th September, 1967 involving 4 Down Assam Mail between Samukhtola Road and Salsalabari stations near Alipurduar, Northeast Frontier Railway. His headquarters will be at Jalpaiguri.

[No. E(O)II-67AP1/6.]

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1968

एस० ओ० 2434.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9वां) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के

डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, श्री श्रीधर चन्द्र राय, को अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त 28 सितम्बर, 1967 को अलीपुरद्वार के पास पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सामुकतलारोड और सालसालाबारी स्टेशनों के बीच 4 डाउन असम मेल के साथ घटित दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दावों का निपटारा करने के लिए दावा कमिश्नर नियुक्त करती है। श्री राय का मुख्यालय जलपाईगुड़ी में होगा।

[सं० ई (ओ) II-67 ए पी 1/6]

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968